न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या 15/24 दायरा दिनांक 21.02.2024

1. मालती पत्नि गब्बू, उम्र 44 वर्ष जाति जाटव निवासी भोयल तहसील शाहावाद जिला बारां राज.
2. मनीषा पुत्री गब्बू उम्र 24 वर्ष जाति जाटव निवासी भोयल तहसील शाहावाद जिला बारां राज.
3. अनीता उर्फ कल्ली पुत्री गब्बू उम्र 18 वर्ष जाति जाटव निवासी भोयल तहसील शाहावाद जिला बारां राज.
4. नीलू कुमारी पुत्री गब्बू उम्र 16 वर्ष जरिये बली मालती पत्नि गब्बू जाति जाटव निवासी भोयल तहसील शाहावाद जिला बारां राज.
5. दीपिका उर्फ दीपो पुत्री गब्बू उम्र 14 वर्ष जरिये बली मालती पत्नि गब्बू जाति जाटव निवासी भोयल तहसील शाहावाद जिला बारां राज.
6. नितेश उर्फ अमरचन्द पुत्र गब्बू उम्र 14 वर्ष जरिये बली मालती पत्नि गब्बू जाति जाटव निवासी भोयल तहसील शाहावाद जिला बारां राज.

– अपीलान्ट

–: बनाम :–

1. देवीलाल पुत्र हल्कू जाति जाटव निवासी भोयल तहसील शाहावाद जिला बारां राज. फौत

1/1. ईश्वरलाल पुत्र देवीलाल जाति जाटव निवासी भोयल तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

1/2. भूरा पुत्र देवीलाल जाति जाटव निवासी भोयल तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

1/3. राकेश पुत्र देवीलाल जाति जाटव निवासी भोयल तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

1/4. राजवती पुत्री देवीलाल जाति जाटव निवासी भोयल तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

1/5 सोमतिया पत्नि देवीलाल जाति जाटव निवासी भोयल तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

2. सरपंच ग्राम पंचायत शुभघरा हाल ग्राम पंचायत भोयल तहसील शाहाबाद जिला बारां राज.
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहावाद जिला बारां राज.

– रेस्पो.

अपील विरूद्ध फोती नामान्तरण नम्बर 1000 दिनांक 05.02.2013 ग्राम भोयल तहसील शाहावाद निर्णय अधीनस्थ न्यायालय सरपंच ग्राम पंचायत शुभघरा हाल ग्राम पंचायत भोयल तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

<u>निर्णय–दिनांक 10.06.2024</u>

उपस्थित–

1. अपीलाण्टस की ओर से–श्री धीरेन्द्र कुमार माली एडवोकेट
2. रेस्पो. कम 1/1 ता 1/5 की ओर से– श्री अरविन्द बर्मा, एडवोकेट

10.06.2024

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

CamScanner

अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम भोयल पटवार हल्का भोयल तहसील शाहाबाद के खाता संख्या 114 पुरानी 109 में आराजी खसरा नम्बर 502 रकबा 2.02 बीघा किस्म बारानी तृतीय तथा खसरा नम्बर 503 रकबा 2.07 बीघा किस्म बारानी तृतीय कुल किता 2 रकबा 4.09 बीघा स्थित है। उक्त आराजी अपीलाण्ट तथा रेस्पो. के चचेरे भाई बहनो कम 1/1 ता 1/5 के नाम संयुक्त खाता दर्ज है। अपीलाण्ट तथा रेस्पो. कम 1/1 ता 1/5 चचेरे भाई बहिन जो खातेदार हल्कू पुत्र लक्ष्मन कौम जाटव साकिन भोयल के सगे पौत्र/पौत्री/पुत्रवधु होकर वैधानिक वारिस उत्तराधिकारी हैं, जिनके नाम प्रश्नगत फोती नामान्तरण दर्ज किया गया है, जो सही है। अपीलाण्ट कम 3 का घरेलू बोलता नाम कल्ली तथा रिकार्डेड नाम अनीता है, अपीलाण्ट कम 5 का घरेलू नाम दीपो तथा रिकार्ड नाम दीपिका है, अपीलाण्ट कम 6 का घरेलू बोलता नाम अमरचन्द है तथा रिकार्ड नाम नितेश है जो अपीलाण्ट के आधारकार्ड जनाधार राशनकार्ड में दर्ज है। वक्त तस्दीक प्रश्नगत नामान्तरण में घरेलू नाम दर्ज कर दिये, प्रश्नगत नामान्तरण दर्ज करने की कोई सूचना अपीलाण्ट को नहीं दी, इस कारण प्रश्नगत नामान्तरण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रश्नगत नामान्तरण नम्बर 1000 दिनांक 05.02.2013 ग्राम भोयल तहसील शाहावाद को निरस्त कर अपीलाण्ट कम 3 कल्ली के स्थान पर अनीता अपीलाण्ट कम 5 दीपो के स्थान पर दीपिका तथा अपीलाण्ट कम 6 अमरचन्द के स्थान पर नितेश दर्ज किया जाकर पुनः नामान्तरण तस्दीक किये जाने के सादर पारित फरमावें, आदि।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टस की तलवी की गई। रेस्पोर्डेण्ट कम 1/1 ता 1/5 की ओर से इकबाली जबाव पेश किया जाकर अपीलाण्ट कम 4,5,6 के नाम दुरूस्त करने की प्रार्थना की गई। अपीलाण्टस ने प्रश्नगत नामान्तरण में अपीलाण्ट कम 3 का नाम अनीता के स्थान पर कल्ली, अपीलाण्ट कम 5 का नाम दीपिका के स्थान पर दीपो तथा अपीलाण्ट कम 6 का नितेश के सथान पर अमरचन्द गलत दर्ज किये जाने का कथन किया है और शेष नामान्तरण को सही दर्ज किया जाना बतलाया है। पत्रावली में संलग्न आधारकार्ड, बैंक खाता पास बुक, राशनकार्ड तथा प्रमाणपत्र सरपंच ग्राम पंचायत भोयल से प्रथम दृष्टया अपीलाण्टस कम 4,5,6 के नाम की पुष्टि होती है और नाम दुरूस्ती का पर्याप्त आधार है। अतः अपील अपीलाण्टस स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामान्तरण नम्बर 1000 दिनांक 05.02.2013 ग्राम भोयल तहसील शाहावाद को निरस्त किया जाता है और प्रकरण तहसीलदार शाहावाद को रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलाण्टस कम 4,5,6 के नाम के बावत भलिभांति जांच कर पुनः नये सिरे से नामान्तरण दर्ज करें। पालनार्थ तहसीलदार शाहावाद को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 10.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

10.06.2024

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट शाहाबाद जिला बारां